न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2023

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

ग्राम पंचायत कालानाडा जरिये सरपंच कालानाडा बनाम राज. सरकार धारा 136 भू.राज. अधि. 1956

1.ग्राम पंचायत कालानाडा जरिये सरपंच कालानाडा, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
—प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि.1956

दिनांक 19.07.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कालानाडा की ओर से सरपंच कालानाडा ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा के यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम कालानाडा के वर्तमान खसरा संख्या 510 रकबा 0.4288 हैक्टैयर किस्म गै.मु.स्कूल दर्ज है किन्तु उक्त भूमि एकीकरण एवं बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2006 में किस्म बंजर दोयम दर्ज की हुई है। मौके पर खसरा संख्या 510 पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है। विद्यालय को अन्य जगह 10 बीघा भूमि का आवंटन खेल मैदान हेतु किया जा चुका है। श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम कालानाडा के वर्तमान खसरा संख्या 510 रकबा 02 बीघा 13 बीस्वा की किस्म गै.मु.स्कूल के स्थान पर बंजर दोयम के आदेश फरमाने कृपा करें।

2. प्रकरण को दिनांक 11.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 41/2023 पर दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 18.08.2023 को पेश हुई। तलबी उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित होकर सहमति में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर जाहिर किया कि वर्तमान में ग्राम कालानाडा के खसरा संख्या 510 रकबा 0.4288 हैक्टैयर किस्म गै.मु.स्कूल है जहां पर वास्तविक रूप से आबादी बसी हुई है तथा लगभग 10 परिवारों के पक्के मकान तथा मन्दिर बना हुआ है। ग्राम कालानाडा के वर्तमान खसरा संख्या 510 की किस्म वर्तमान में गै.मु.स्कूल दर्ज है तथा रा.उ.मा.वि. कालानाडा को खसरा संख्या 941/365 रकबा 1.0822 हैक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है, खसरा संख्या 510 की किस्म एकीकरण जमाबन्दी के अनुसार बंजर कायम किया जाना उचित है, खसरा संख्या 510 की एकीकरण में किस्म बंजर दोयम थी परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

वर्किंग जमाबन्दी में खसरा संख्या 510 की किस्म स्कुल मैदान हो गयी जो कि बिना किसी आदेश अथवा नामान्तरणकरण के हुई है। संस्था प्रधान रा.उ.मा.वि. कालानाडा ने प्रमाण पत्र पेश किया कि विद्यालय को 10 बीघा भूमि खेल मैदान के तौर पर आवंटनशुदा है तथा खसरा संख्या 510 रकबा 02 बीघा 13 बीस्वा वर्तमान में खेल मैदान के तौर पर प्रयुक्त नहीं हो रही है।

3. हमारे द्वारा प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार अरांई की अनुशंषा का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2018 से ताईद है कि खसरा संख्या 510 रकबा 02 बीघा 13 बीस्वा की किस्म बंजर दोयम दर्ज है। विद्यालय प्रशासन की ओर से भी इस शुद्धि हेतु अनापत्ति व्यक्त की है।

—: आदेश :—

तहसीलदार अरांई द्वारा दिनांक 08.12.2023 को प्रेषित जवाब एवं दिनांक 17.05.2024 को प्रेषित रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि उक्त वादअधीन खसरा संख्या 510 की किस्म एकीकरण जमाबन्दी संवत 2018 में बंजर दोयम दर्ज थी किन्तु वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में उक्त भूमि की किस्म सहवन से बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के स्कूल का मैदान दर्ज कर दी गई। अतः तहसीलदार रिपोर्ट से ताईद है कि वादअधीन खसरा संख्या 510 की किस्म एकीकरण जमाबन्दी संवत 2018 में बंजर दोयम दर्ज थी किन्तु वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में उक्त भूमि की किस्म बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के स्कूल का मैदान दर्ज करी गई जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि कृषि आराजी ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई के वर्तमान खसरा संख्या 510 रकबा 0.4288 हैक्टैयर की किस्म गै.मु. स्कूल के स्थान पर सम्वत 2018 के रिकार्ड के अनुसार बंजर दोयम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना हेतु प्रति भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)